

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 28 जनवरी, 2014

निर्णय तिथि: 10 फरवरी, 2014

**रि.या.(सि.) 5262/2013**

आयकर आयुक्त(केंद्रीय)-II

.....याचिकाकर्ता

द्वारा:

श्री रोहित मदान, वरिष्ठ स्थायी  
अधिवक्ता के साथ श्री आकाश  
वाजपेयी, अधिवक्ता

बनाम

आय कर निपटान आयोग और अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

श्री सी. एस. अग्रवाल, वरिष्ठ  
अधिवक्ता, श्री प्रकाश कुमार और श्री  
शील वर्धन, अधिवक्तागण

**कोरम:**

न्यायमूर्ति श्री एस. रविन्द्र भट

न्यायमूर्ति श्री आर.वी. ईश्वर

**न्या. आर.वी. ईश्वर.**

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान कार्यवाही में, राजस्व आयकर निपटान आयोग, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ("आई.टी.एस.सी.") द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में लिए गए बहुमत के दृष्टिकोण पर सवाल

उठाया गया है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को जुर्माना लगाने और अभियोजन चलाने से छूट दी गई है।

2. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIX-क में धारा 245 क से 245 ड शामिल हैं, जिसे कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा 1.4.1976 को शामिल किया गया था। इसके द्वारा मामलों के निपटान का प्रावधान किया गया था। निपटान आयोग को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गईं जिनमें कर निर्धारिती को अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने की शक्ति भी शामिल थी। एक बार जब निपटान आयोग निपटान आवेदन को जब्त कर लेता है, तो आवेदक के मामले के संबंध में अधिनियम के तहत आयकर प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को करने की अनन्य अधिकार क्षेत्र तब तक निपटान आयोग में निहित हो जाती है जब तक कि धारा 245घ(4) के संदर्भ में निपटान का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है। आवेदक के मामले को निपटाने में, निपटान आयोग, आवेदक और संबंधित आयकर आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद, और ऐसे आगे के साक्ष्य की जांच करने के बाद जो उसके सामने रखे जाएं या उसके द्वारा प्राप्त किए जाएं, ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह आवेदक द्वारा कवर किए गए मामलों और मामले से संबंधित किसी अन्य मामले पर जो आवेदक द्वारा कवर नहीं किया गया है, लेकिन आयकर आयुक्त की रिपोर्ट में संदर्भित है। धारा 245घ की उप-धारा (5) के तहत, निपटान आयोग के समक्ष रिकॉर्ड में लाई

गई सामग्री पर संबंधित पीठ के सदस्यों द्वारा निपटान का कोई भी आदेश पारित करने से पहले विचार किया जाएगा। धारा 245(1) के अंतर्गत, कर निर्धारिती, उससे संबंधित मामले के किसी भी चरण में, ऐसे प्रारूप में और, ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया गया हो, आवेदन कर सकता है, और "जिसमें उसकी उस आय का पूर्ण और सही प्रकटन होगा, जिसका मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष प्रकटन नहीं किया गया है, जिस तरीके से ऐसी आय प्राप्त की गई है, ऐसी आय पर देय आयकर की अतिरिक्त राशि और ऐसे अन्य विवरण, जो निपटान आयोग द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं,....." और ऐसे आवेदन का निपटारा, निपटान आयोग द्वारा उसके अध्याय में दिए गए तरीके से किया जाएगा। धारा 245 ख(3) आई.टी.एस.सी के सदस्यों की नियुक्ति "प्रत्यक्ष करों और व्यावसायिक लेखाओं से संबंधित समस्याओं का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले, ईमानदार और उत्कृष्ट क्षमता वाले व्यक्तियों" के बीच से करने का प्रावधान करती है। अभियोजन और दंड से छूट देने की शक्ति धारा 245ज (1) द्वारा दी गई है और यह दो शर्तों से घिरी हुई है जैसा कि उपधारा से स्पष्ट होगा जो इस प्रकार है:

***“अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए निपटान आयोग की शक्ति।***

***245ज. (1) निपटान आयोग, यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि कोई व्यक्ति जिसने धारा 245ग के तहत निपटान के लिए आवेदन किया है, उसने निपटान आयोग के समक्ष कार्यवाही में सहयोग किया है और अपनी आय और आय***

प्राप्त करने के तरीके के बारे में सही प्रकटीकरण देता है , तो ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के तहत या उस समय लागू किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी भी अपराध के लिए अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है। और समझौते द्वारा कवर किए गए मामले के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी दंड के अधिरोपण से [या तो पूरी तरह या आंशिक रूप से] उन्मुक्ति भी प्रदान कर सकता है।”

XXXX

XXXX

XXXX

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए दो शर्तें यह हैं कि (1) आवेदक ने निपटान आयोग के समक्ष की कार्यवाही में सहयोग किया है और (2) अपनी आय और उसको अर्जित करने के तरीके का पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया है। इस धारा में अन्य प्रावधान भी हैं, जिनके तहत उन्मुक्ति वापस लेने का प्रावधान है, यदि बाद में यह पाया जाता है कि यह समझौता संबंधी कोई विशेष जानकारी छिपाकर या झूठे साक्ष्य देकर प्राप्त किया गया था या यदि आवेदक निपटान आयोग द्वारा निर्धारित भुगतान अनुसूची का अनुपालन करने में विफल रहता है या कोई अन्य शर्त जिसके अधीन दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान की गई थी। धारा 245-1 में प्रावधान है कि निपटान का आदेश उसमें बताए गए मामलों के बारे में निर्णायक होगा और ऐसे मामलों के संबंध में, निर्धारिती को पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के अधीन नहीं किया जा सकता है।

3. 10.2.2010 को, समूह कंपनियों की तलाशी के भाग के रूप में अधिनियम की धारा 132 के तहत यहां कर निर्धारिती के व्यावसायिक परिसर (प्रत्यर्थी-2) में तलाशी ली गई, जिसमें इसके निदेशकों के आवासीय परिसर भी शामिल थे। कई आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई। अभियोगकारी दस्तावेजों में शामिल होने का आरोप है। कथित तौर पर इन दस्तावेजों में ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे पता चलता है कि गुड़गांव और दिल्ली में 5 पक्षकारों से 117.98 करोड़ रुपये की सीमेंट और स्टील की खरीद फर्जी या झूठी थी। कर निर्धारिती ने 16.12.2011 को धारा 245ग(1) के तहत निपटान आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें उसने स्वीकार किया कि 39.53 करोड़ रुपये की सीमेंट और स्टील की खरीद वास्तविक नहीं थी और इसे कर निर्धारिती की आय के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसे कर निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2010-11 से संबंधित ब्लॉक मूल्यांकन में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया गया था।

4. आई.टी.एस.सी. के समक्ष कार्यवाही के दौरान, आयकर निपटान आयोग (प्रक्रिया) नियम, 1999 के नियम 9 के अंतर्गत आयकर आयुक्त द्वारा 24.9.2012 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट में आयकर आयुक्त ने आई.टी.एस.सी. से धारा 245घ की उप-धारा (3) के अनुसार आगे की पूछताछ और जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश मांगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आयकर आयुक्त ने 2.2.2012 के अपने पत्र में कुछ जांचों का

उल्लेख किया था, जिससे पता चला कि जिन पार्टियों से आवेदक ने सीमेंट और स्टील की खरीद का दावा किया था, वे उन वस्तुओं का व्यापार ही नहीं कर रहे थे; यह भी बताया गया कि उन सभी फर्मों के मालिक अशोक ओबेरॉय ने शपथ पर इस आशय से संबंधित बयान दिया था और यह भी स्वीकार किया था कि उन्होंने वास्तव में उन सामग्रियों की आपूर्ति किए बिना कर निर्धारिती को स्टील, सीमेंट और टी.एम.टी. बार के फर्जी बिल जारी किए थे और उन्होंने उन बिलों को जारी करने के लिए कर निर्धारिती से प्रति सौ रुपये पर 10 से 15 पैसे की दर से कमीशन लिया था। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि पांचों फर्मों के बैंक विवरण में उल्लिखित खाताधारकों के पते और खाता धारकों से परिचय कराने वाले व्यक्तियों के नाम भी फर्जी पाए गए।

5. आयकर आयुक्त द्वारा 17.10.2012 को आई.टी.एस.सी. के समक्ष एक और रिपोर्ट दाखिल की गई। कर निर्धारिती से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया कि पार्टियों के असली और फर्जी बिलों की पहचान कैसे की गई, जिस पर कर निर्धारिती ने कहा कि उन्हें अलग-अलग दाखिल किया गया था और आगे प्रस्तुत किया कि टी.एम.टी. आयरन बार के चालान के संबंध में वास्तविक होने का दावा किया गया था, संबंधित धर्म कांटा रसीदें भी उपलब्ध थीं। कर निर्धारिती ने खुद ही चार्ट के रूप में विवरण दाखिल किया, जिसमें आई.टी.एस.सी. के समक्ष स्वीकार की गई फर्जी खरीदों को दर्ज किया गया, जिसमें लोहे की सलाखों के खरीद चालान भी शामिल थे, जिनके धर्मकांटा रसीदें

उपलब्ध नहीं थीं। यह राशि 43.78 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, हालांकि कर निर्धारिती ने धारा 245ग(1) के तहत आई.टी.एस.सी. के समक्ष दायर आवेदन में 39.53 करोड़ रुपए को अतिरिक्त आय के रूप में स्वीकार किया था, जिसका कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकटीकरण नहीं किया गया था, आयकर आयुक्त द्वारा 17.10.2012 को दायर रिपोर्ट के बाद, अतिरिक्त आय को बढ़ाकर 43.78 करोड़ रुपए कर दिया गया, इस प्रकार फर्जी खरीद के कारण 4.25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त समर्पण किया गया।

6. आई.टी.एस.सी. के समक्ष दिनांक 18.10.2012 को हुई सुनवाई में, जाहिर तौर पर आयकर आयुक्त द्वारा दायर रिपोर्ट के आधार पर, उन्हें फर्जी खरीद के संबंध में आगे की जांच करने और कर निर्धारिती से सत्यापन के बाद उन तथ्यों को सामने लाने का निर्देश दिया गया था, जो राजस्व में स्वीकार्य नहीं हैं। इस निर्देश के अनुसरण में, सी. आई. टी. ने आई. टी. एस. सी. के समक्ष दिनांक 10.12.2012 को एक और रिपोर्ट दायर की। इस निर्देश के अनुपालन में, आयकर आयुक्त ने आई.टी.एस.सी. के समक्ष दिनांक 10.12.2012 को एक और रिपोर्ट दायर की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि वह कर निर्धारिती को अशोक ओबेरॉय से जिरह करने का अवसर दे, जो मुख्य व्यक्ति है और जिसके बारे में कहा गया था कि उसने फर्जी बिल जारी किए थे। कर निर्धारिती अशोक ओबेरॉय से जिरह करने में सक्षम नहीं था और इसके कारणों का उल्लेख

आयकर आयुक्त की रिपोर्ट में भी किया गया था। आयकर आयुक्त ने 16.11.2012 को दर्ज अशोक ओबेरॉय के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने अपने पहले के बयानों और हलफनामों की पुष्टि की थी कि कर निर्धारिती को जारी किए गए बिल फर्जी बिल थे और वास्तव में उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं दी गई थी।

7. सी.आई.टी. द्वारा 8.1.2013 पर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसमें कहा गया था कि सड़क परिवहन अधिकारियों से सत्यापन से पता चला है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बिलों में उल्लिखित वाहनों के पंजीकरण संख्या का उपयोग सीमेंट और इस्पात के परिवहन के लिए किया गया था; कुछ मामलों में, पंजीकरण संख्या दो पहिया वाहनों की थी जो माल परिवहन में असमर्थ थे और कुछ मामलों में पंजीकरण संख्या उन वाहनों की पाई गई जो परिवहन अधिकारियों के साथ उस प्रासंगिक अवधि के बाद पंजीकृत थे जिसमें उनके द्वारा माल का परिवहन का दावा किया गया था। कुछ परिवहन संचालकों ने उनके साथ प्रति-सत्यापन पर यह भी कहा कि उन्होंने निर्धारिती के लिए कोई सामग्री परिवहन नहीं की।

8. जब आई.टी.एस.सी. ने 10.1.2013 पर सुनवाई के लिए मामला उठाया, तो आवेदक धारा 245घ (3) के तहत सी. आई. टी. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में दर्ज किसी भी निष्कर्ष का विरोध करने में समर्थ नहीं था। जब आई.टी.एस.सी. ने उससे माल परिवहन के संबंध में अपने दावे का समर्थन करने के लिए कहा रि.या.(सि.) 5262/2013

तो कर निर्धारिती ने इस आधार पर ऐसा करने में असमर्थता व्यक्त की कि मामला पुराना है और रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया गया है। हालांकि, कर निर्धारिती ने अपने द्वारा निर्मित कुछ भवनों के संबंध में एक चार्टर्ड इंजीनियर और एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया कि निर्माण में वास्तव में खपत किया गया सीमेंट और स्टील लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए सीमेंट और स्टील से केवल 15% कम था और इसलिए निपटान आवेदन में उसके द्वारा बताई गई अतिरिक्त आय ऐसी अधिकतम खपत को कवर करेगी।

9. निपटान कार्यवाही के उपरोक्त पहलू की जांच करने के बाद, आई.टी.एस.सी. ने अपने आदेश (बहुमत दृष्टिकोण) के पैरा 25 में कहा:-

*“25. मामले के तथ्यों की जांच करने तथा आवेदक और विभाग दोनों द्वारा अपने-अपने दावों को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत साक्ष्यों को ध्यान में रखने के बाद, पीठ ने समझौते की भावना से आवेदक को सलाह दी कि वह विचाराधीन 5 पक्षकारों से सीमेंट और टीएमटी लोहे की छड़ों की 117.98 करोड़ रुपये की पूरी खरीद को उसके द्वारा प्रस्तावित 39.53 करोड़ रुपये के स्थान पर अतिरिक्त आय के रूप में पेश करे।*

इसके बाद 15.1.2013 को हुई अंतिम सुनवाई में आवेदक ने आई.टी.एस.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह "पांचों पक्षकारों से सीमेंट और टीएमटी लोहे की रि.या.(सि.) 5262/2013

छड़ों की पूरी खरीद 117.98 रुपये अतिरिक्त आय के रूप में देने के लिए सहमत हो गया है।" अभियोजन और दंड से उन्मुक्ति के प्रश्न पर आई.टी.एस.सी (बहुमत का मत) ने निम्नलिखित टिप्पणी की: --

*"30. आवेदक ने आयकर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत अभियोजन से छूट और जुर्माना लगाने का अनुरोध किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान आयोग को दिए गए सहयोग को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम के तहत अभियोजन और दंड से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है।*

10. एकमात्र असम्मत राय देने वाले सदस्य ने कहा कि तथ्यों से यह साबित होता है कि आवेदक ने निपटान आवेदन में अपनी वास्तविक और पूरी आय का प्रकटीकरण नहीं किया है, क्योंकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि उसने खातों में 117.98 करोड़ रुपये के फर्जी व्यय का दावा किया था। उसने आगे कहा कि निपटान आवेदन में पूरी और सही आय की पेशकश न करने के पीछे मूल उद्देश्य कर योग्य आय को छिपाना है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि:-

*"आवेदक, जो इस तथ्य से पूरी तरह अवगत था कि उसके लाभ एवं हानि खाते में दावा किए गए फर्जी व्यय को दर्शाने वाले पुख्ता सबूत तलाशी और तलाशी के बाद की जांच के दौरान पाए गए थे, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया*

गया है, उसने पूरी छिपाई गई आय/फर्जी व्यय को कर के लिए न तो तलाशी दल के समक्ष और न ही मूल्यांकन अधिकारी (ए ओ) या आयकर निपटान आयोग (आई.टी.एस.सी.) के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आवेदक द्वारा अपने लेखा परीक्षा मानक में भी कर चोरी करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था, जहां आवेदन दाखिल करने की प्रमुख शर्तों में से एक आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण है। इसके अलावा, उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने निपटान कार्यवाही के दौरान भी अपने रुख को सही ठहराने के लिए अंत तक अपनी पूरी कोशिश की है, हालांकि, विद्वान आयकर आयुक्त ने यह साबित कर दिया है कि आवेदक ने अपने खातों में 117.98 करोड़ रुपये के फर्जी खर्च का दावा किया है, जबकि उसके लेखा परीक्षा मानक में 39.58 करोड़ रुपये की अस्वीकृति स्वीकार की गई है। इसलिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आवेदक ने स्वेच्छा से 78.45 करोड़ रुपये की पेशकश नहीं की है, हालांकि उसने ऐसा तब किया जब उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके परिणामस्वरूप, अस्वीकृत राशि 78.45 करोड़ रुपये की हो गई।

11. राजस्व विभाग ने आई.टी.एस.सी. द्वारा व्यक्त बहुमत की राय पर इस आधार पर आपत्ति जताई है कि यह धारा 245ज(1) में निर्धारित मापदंडों के विपरीत है। यह तर्क दिया गया है कि आई.टी.एस.सी. ने तथ्यों और रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्यों के बारे में गलत दृष्टिकोण अपनाया है और इसलिए, इस

न्यायालय के लिए रिट कार्यवाही में, कर निर्धारिती को दंड और अभियोजन से छूट देने वाली बहुमत की राय को पलटना जायज़ है।

12. कर निर्धारिती की ओर से यह दलील दी गई है कि कर निर्धारिती ने आयकर आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में उस आय का पूर्ण और सही प्रकटीकरण किया है, जिसका प्रकटन उसने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नहीं किया था। साथ ही, कर निर्धारिती ने आयकर आयुक्त के सुझाव पर समझौते की भावना से आयकर आयुक्त के समक्ष कार्यवाही में ऐसी अतिरिक्त आय की पेशकश करके सहयोग भी किया है। उनके अनुसार कर निर्धारिती के इस आचरण ने धारा 245ज(1) की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

13. हमें ऐसा लगता है कि निर्धारिती को छूट देने वाली आई. टी. एस. सी. की बहुमत की राय के खिलाफ राजस्व द्वारा की गई आलोचना अच्छी तरह से स्थापित है। प्रतिरक्षा केवल धारा 245ज (1) के मापदंडों के भीतर दी जा सकती है जिसके लिए आई. टी. एस. सी. के समक्ष कार्यवाही में कर निर्धारिती से आय और सहयोग का पूर्ण और सही प्रकटीकरण आवश्यक है। सह-संचालन का तात्पर्य कर निर्धारिती की तरफ का इच्छित कार्य है; वर्तमान कर निर्धारिती ने आई. टी. एस. सी. के समक्ष कार्यवाही में केवल तभी "सह योग " किया जब आयकर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का उसे सामना करना पड़ा। इसलिए, हमारी राय में, आई.टी.एस.सी. का कर निर्धारिती के प्रति कुछ हद तक उदार दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं था, जब उसने देखा कि उसकी "सलाह" पर, रि.या.(सि.) 5262/2013

“समझौते की भावना” से, कर निर्धारिती ने 117.98 करोड़ रुपये की पूरी फर्जी खरीद को अपनी आय के रूप में पेश किया था। शुरु से ही, जैसा कि जब्त की गई सामग्री से पता चलता है, निर्धारिती को पता था कि दिल्ली और गुड़गांव के पांच पक्षों से इस्पात और सीमेंट की खरीद फर्जी थी; उसके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था कि सामान उसके लिए ले जाया गया था-उसने वास्तव में सबूत प्रस्तुत किए थे, जिससे यह स्थापित हुआ कि जिन वाहनों में कथित रूप से सामान ले जाया गया था, वे संबंधित समय पर परिवहन अधिकारियों के साथ पंजीकृत भी नहीं थे, उनमें से कुछ दोपहिया वाहन थे जो सीमेंट और इस्पात के परिवहन में असमर्थ थे; उन पांच फर्मों के मालिकों ने शपथ लेते हुए रिकॉर्ड में कहा था कि उन्होंने दलाली के लिए फर्जी बिल जारी किए थे; धन की तत्काल वापसी हुई थी। कर निर्धारिती द्वारा जारी किए गए चेक को मंजूरी दिए जाने के बाद उन फर्मों के बैंक खातों से, लेकिन उन निधियों के गंतव्य के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वे निर्धारिती तक वापस आ गए हैं; उन फर्मों द्वारा दिए गए पते अस्तित्व में नहीं पाए गए। यह सब कर निर्धारिती को पता था, लेकिन फिर भी इसने निपटान आवेदन में पूर्ण और सही प्रकटीकरण नहीं किया; इसने तब तक इंतजार किया जब तक कि आई. टी. एस. सी. ने आयकर आयुक्त से रिपोर्ट नहीं मांगी, जिसने जब्त की गई सामग्री द्वारा स्थापित उपरोक्त तथ्यों को दोहराया। उसके पास सबूत को लेकर कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक हताश

प्रयास में आई. टी. एस. सी. के समक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट दाखिल करके अपनी बेगुनाही साबित आदेश की कोशिश की ताकि यह दिखाया जा सके कि सीमेंट और इस्पात की खरीद पर खर्च की मुद्रास्फीति वास्तविक खपत के केवल 15 प्रतिशत के क्रम में थी, इस अंतर को रुपये 43.78 करोड़ की अतिरिक्त आय के प्रस्ताव द्वारा ध्यान में रखा जाएगा।

14. उपर्युक्त तथ्यात्मक जहां तक आई.टी.एस.सी.के आदेशों की न्यायिक स्थिति से पता चलता है कि कर निर्धारिती ने एक अवसर लिया - ऐसा कहा जा सकता है कि वह अवसर की ताक में था - निपटान आवेदन में अपनी स्थिति स्पष्ट न कर और उस आय जिसका प्रकटीकरण उसने पहले मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष नहीं किया उसका इसमें प्रकटन न कर - और जब आयकर आयुक्त की रिपोर्टों ने की जा रही कार्यवाही के दौरान आई.टी.एस.सी. के समक्ष उसके आचरण को उजागर किया, तो आई.टी.एस.सी. ने उसे “*निपटान की भावना से*” 117.98 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद की पूरी राशि की पेशकश करने की “सलाह” दी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। हम किसी भी तरह की निपटान भावना को देखने में विफल हैं; उस भावना को कर निर्धारिती द्वारा आई. टी. एस. सी. के समक्ष दायर आवेदन में प्रदर्शित किया जाना चाहिए था, जैसा कि कानूनन आवश्यकता है, और यह पर्याप्त नहीं है। यदि इसे प्रतिकूल रिपोर्टों का सामना करने के बाद आई. टी. एस. सी. के समक्ष कार्यवाही में दिखाया जाता है, जिसके लिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। *अजमेरा हाउसिंग को-ऑपरेशन*

और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, (2010) 326 आई. टी. आर. 642, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया तथ्य यह है कि निर्धारिती संशोधित आवेदनों में उच्च आय का प्रकटीकरण कर निपटान के लिए अपने आवेदन को संशोधित करना जारी रखा, जिससे यह स्थापित हुआ उसने आय का सही और पूर्ण खुलासा नहीं किया, इसे उसने मुल्यांकन प्राधिकारी के समक्ष प्रकट नहीं किया।

inइन परिस्थितियों में, कर निर्धारिती को आई. टी. एस. सी. के समक्ष कार्यवाही में “ सहयोग” करनेवाला नहीं कहा जा सकता। इसने स्वेच्छा से अतिरिक्त आय की पेशकश नहीं की, जो 117.98 करोड़ और 39.53 करोड़ के बीच का अंतर था। इसने पहले धारा 245-ग(1) के तहत दायर निपटान आवेदन में 39.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय की पेशकश की; जब आई.टी.एस.सी. ने 17.10.2012 को आयकर आयुक्तद्वारा दायर रिपोर्ट के अनुसार पाया कि कर निर्धारिती के स्वयं के स्वीकारोक्ति के अनुसार, खरीद चालान 39.53 करोड़ रुपये के बजाय 43.78 करोड़ रुपये तक फर्जी थे, तो कर निर्धारिती ने 4.25 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खुलासा किया। आई.टी.एस.सी. द्वारा सभी रिपोर्टों की जांच करने और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, यह पाया गया कि कर निर्धारिती को 117.98 करोड़ रुपये की पूरी राशि की पेशकश करनी चाहिए थी, जो पांच पक्षकारों से सीमेंट और स्टील की फर्जी खरीद थी, जबकि उसने 39.53 करोड़ रुपये की पेशकश की थी। यह केवल उस स्तर पर था, जब उसे घेर लिया गया और जब वह साक्ष्य और साक्ष्य द्वारा

स्थापित तथ्यों का खंडन करने में असमर्थ था, तब कर निर्धारिती 78.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय के साथ आगे आया, जिसे निपटान आवेदन में बताए गए 39.53 करोड़ रुपये के साथ जोड़ने पर कुल 117.98 करोड़ रुपये हो गए। दूसरे शब्दों में, कर निर्धारिती ने अतिरिक्त प्रस्ताव के लिए अंतिम क्षण तक इंतजार किया। कर निर्धारिती का यह आचरण आई.टी.एस.सी. के समक्ष कार्यवाही में सहयोग दिखाने के बजाय, अवज्ञा और तटस्थ रवैया दर्शाता है। जिस सदस्य ने दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा के दावे को अस्वीकार करते हुए अल्पमत का विचार व्यक्त किया है, उसने यहां ऊपर उद्धृत टिप्पणियों में कर निर्धारिती के आचरण के इस पहलू को स्पष्ट रूप में सामने लाया है। हम उनके इस विचार से सहमत हैं कि कर निर्धारिती हमेशा से इस बात से अवगत था कि रु. 117.98 करोड़, गुड़गांव और दिल्ली के 5 पक्षकारों से सीमेंट और स्टील की फर्जी खरीद होने के कारण, आय को छुपाया गया था। इस संबंध में राजस्व द्वारा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। फिर भी कर निर्धारिती ने जानबूझकर धारा 245 (1) के तहत आई. टी. एस. सी. के समक्ष दायर आवेदन में उपरोक्त राशि को अतिरिक्त आय के रूप में पेश नहीं करने का फैसला किया-यानी आय जिसका निर्धारण अधिकारी के समक्ष खुलासा नहीं किया गया था। इस प्रकार निर्धारिती धारा 245ज (1) की दोहरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहा है और इसलिए, प्रतिरक्षा का हकदार नहीं था। आई.टी.एस.सी. द्वारा व्यक्त बहुमत का दृष्टिकोण, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के विपरीत है और

आयकर अधिनियम के अध्याय XIX-ए द्वारा अनियमित कर निर्धारितीयों को साफ-साफ सामने आने और नया रास्ता अपनाने का अवसर दिए जाने के बावजूद कर निर्धारिती के अवज्ञाकारी आचरण पर ध्यान नहीं देता है। समझौते की भावना का बिल्कुल अभाव था; यह कहना उचित नहीं होगा कि कर निर्धारिती एक अच्छे इरादे वाले वैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा था। समझौते की भावना का पूर्णतया अभाव था; यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कर निर्धारिती एक सुविचारित वैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा था। आई.टी.एस.सी. के लिए यह निश्चित रूप से खुला है कि वह आवेदक को दंड और अभियोजन से छूट प्रदान करे। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग केवल कानून के अनुसार किया जाना है, यानी धारा 245ज (1) की शर्तों की संतुष्टि पर। हालाँकि, इस शक्ति का प्रयोग केवल कानून के अनुसार ही किया जाना चाहिए, अर्थात् धारा 245ज(1) की शर्तों की संतुष्टि पर। हम यह देखने के लिए विवश हैं कि वर्तमान मामले में आई.टी.एस.सी. द्वारा लिया गया बहुमत का दृष्टिकोण कुछ हद तक लापरवाह दृष्टिकोण को दर्शाता है, शायद इस गलत धारणा से प्रेरित है कि दंड और अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करना एक रस्मी कार्य था, एक बार जब कर निर्धारिती पूरी छिपी हुई आय का प्रकटन करता है, तो इस महत्वपूर्ण आवश्यकता को अनदेखा करते हुए कि यह वह चरण है जिस पर ऐसी आय की पेशकश की जाती है जो महत्वपूर्ण है और आवेदक ईमानदारी किशतों में दिखाए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब बहुत बड़ी मात्रा में

आय को छुपाने का स्पष्ट सबूत मौजूद है, जिसके बारे में कोई अस्पष्टता नहीं है, तो धारा 245-ग1 के तहत दायर आवेदन में कर निर्धारिती द्वारा जो खुलासा किया गया है, उसे केवल इसलिए आय का पूर्ण और सही प्रकटन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि कर निर्धारिती ने आई.टी.एस.सी. के समक्ष कार्यवाही के दौरान घरे जाने पर पूरी छुपाई गई आय का खुलासा करने की पेशकश की थी। आई.टी.एस.सी. ने इस महत्वपूर्ण पहलू को जितना नजरअंदाज किया है, उसके द्वारा व्यक्त किए गए बहुमत के विचार को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि आई.टी.एस.सी. ने इस महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज किया है, इसलिए इसके द्वारा व्यक्त बहुमत के दृष्टिकोण को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

15. जहाँ तक न्यायिक समीक्षा की शक्ति का सवाल है, हमें केवल सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों का संदर्भ लेने की आवश्यकता है: आर.बी. श्रीराम दुर्गा प्रसाद बनाम निपटान आयोग, (1989) 176 आईटीआर 169; ज्योतेंद्रसिंहजी बनाम उप.नि.त्रिपाठी एवं अन्य, (1993) 201 आईटीआर 611; श्रीयांस प्रसाद जैन बनाम आयकर अधिकारी एवं अन्य, (1993) 204 आईटीआर 616 और कुलदीप औद्योगिक निगम बनाम आईटीओ, (1997) 223 आईटीआर 840। ज्योतेंद्रसिंहजी (पूर्वोक्त ) में स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया गया है:

-

“जैसा भी हो, तथ्य यह है कि आयोग को निपटान के माध्यम से कर की राशि स्वीकार करने और उस राशि का भुगतान करने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार है। यह कर निर्धारिती की ओर से भूल और चूक को माफ कर सकता है और जहां उचित समझे, ब्याज, दंड या अभियोजन को छोड़ सकता है। वास्तव में, उन कारणों और विचारों को बताना मुश्किल होगा जो आयोग को किसी विशेष आदेश को जारी करने के लिए प्रेरित करते हैं, जब तक कि आयोग स्वयं अपने आदेश के लिए कारण बताने का विकल्प नहीं चुनता। भले ही वह किसी दिए गए मामले में कारण बताए, लेकिन अपील में जांच का दायरा वही रहता है जैसा कि ऊपर बताया गया है, यानी कि क्या यह अधिनियम के किसी प्रावधान के विपरीत है। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि प्राकृतिक न्याय( दुसरे पक्ष को सुनें) (ऑडी अल्टरेंट पार्टम) के सिद्धांत को धारा 245घ में ही शामिल किया गया है। इस प्रकार आयोग पर एकमात्र समग्र सीमा यह प्रतीत होती है कि उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य करना चाहिए। जांच का दायरा, चाहे अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा या अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय द्वारा, एक ही है - क्या आयोग का आदेश अधिनियम के किसी भी प्रावधान के विपरीत है और यदि ऐसा है, तो पूर्वाग्रह, धोखाधड़ी और दुर्भावना के आधार को छोड़कर, जो निश्चित रूप से एक अलग और स्वतंत्र श्रेणी का गठन करते हैं, क्या इसने याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया है।

आई.टी.एस.सी. का आक्षेपित आदेश (बहुमत का दृष्टिकोण) धारा

245ज (1) के प्रावधानों के विपरीत है।

16. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम राजस्व के तर्कों को बरकरार रखते हैं और आई.टी.एस.सी. के दिनांक 08.02.2013 के आदेश के तहत कर निर्धारिती को दंड और अभियोजन से छूट प्रदान करने के बहुमत के दृष्टिकोण को खारिज करते हैं।

रिट याचिका को लागत के सम्बन्ध में कोई आदेश दिए बिना अनुमति दी जाती है।

(आर वी ईश्वर)

न्यायाधीश

(एस. रविन्द्र भट)

न्यायाधीश

10 फरवरी, 2014

वीएलडी/एचएस

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

*अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*